

278



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/2018 पुनरीक्षण मि/किगरानी/छतरपुर/धं.रा/2018/04110

मि/किगरानी/छतरपुर/धं.रा/2018/04110
12-1-18 को
पारित तर्क हेतु
2-18 नियत।

जागेश्वर पुत्र बल्दू तेली
निवासी ग्राम बरहा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर छतरपुर

..... अनावेदक

9-2-18

103

मुकेशभाई
12-1-18 (उपरोक्त)
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण
कमांक /307/स्वप्रेरणा निगरानी/2004-05 में पारित आदेश
दनांक 10.11.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959
की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

यह कि, आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि ख.नं. 740/1 रकवा 0.963 है. भूमि ग्राम बरहा तहसील गौरिहार में स्थिति भूमि का अपने नाम व्यवस्थापन कराने हेतु विधिवत तहसील न्यायालय में आवेदन किया था जिस पर से तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत राजस्व प्रकरण कमांक 6651/बी-121/2001-02 दर्ज कर समुचित जांच व कार्यवाही करते हुये आवेदक के हित में भूमिस्वामी

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/410

जागेश्वर विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 307/स्व.प्रे.निग./2004-05 में पारित आदेश दिनांक 10-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>25/2/2019</p>